अनुदान संख्या 60 - श्रम और रोजगार मंत्रालय
GRANT No. 60 - MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged -*		*2,00*	..	*- 2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted -				
मूल	Original	3165,00,00	3435,68,00	3058,24,59	-377,43,41
पूरक	Supplementary	270,68,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				285,37,24
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted –		763,40,00	309,72,69	-453,67,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				451,54,69

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, ₹*2.00 लाख* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2230" - "श्रम और रोजगार" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹37743.41 लाख) अगस्त, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹27068.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2230" – "Labour and Employment".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹37743.41 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹27068.00 lakhs obtained in August, 2010 and March 2011 and constituted 11 percent of the total sanctioned provision

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat – Social Services				
मू.	O.	3250.00	3154.73	2995.77	-158.96
पु.	R.	– 95.27			
मुख्य शीर्ष "2230"	Major Head "2230"				
श्रम और रोजगार	Labour and Employment				
मू.	O.	283734.00			
पू.	S.	25967.00	277132.83	271934.14	-5198.69
पु.	R.	– 32568.17			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	10000.00			
पू.	S.	1.00	2130.50	..	-2130.50
पु.	R.	– 7870.50			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants–in–aid to State Governments				
मू.	O.	18347.00			
पू.	S.	1100.00	31559.88	29983.22	-1576.66
पु.	R.	12112.88			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants–in–aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	219.00	87.50	56.09	-31.41
पु.	R.	-131.50			

(I) ₹12833.79 लाख का प्रावधान बाईस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹12303.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2230'' - ''श्रम - आरक्षित निधि/जमा लेखों को अंतरण'' -

(क) ''चूना पत्थर और डोलोमाइट खान निधि को अंतरण'' - ₹2500.00 लाख; और

(ख) ''सिनेमा कामगार श्रमिक कल्याण निधि को अंतरण'' - ₹250.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उपकर विलंब से प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''श्रम - अनुसंधान और सांख्यिकी - अनुसंधान और सांख्यिकी के अंतर्गत योजना स्कीमें'' - ₹213.00 लाख;

(ख) ''श्रम - बाल/महिला श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार - बाल श्रमिक प्रकोष्ठ'' - ₹1350.00 लाख ;

(ग) ''प्रशिक्षण - शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण- अन्य स्कीमें'' - ₹4095.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(घ) ''श्रम - श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा - असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना/ स्वास्थ्य बीमा''- ₹3511.00 लाख;

(ङ) ''श्रम - कार्य परिस्थितियां और सुरक्षा''-

(i) ''कारखाना परामर्श सेवा महानिदेशालय की योजना स्कीमें'' - ₹204.00 लाख; और

(I) Provision of ₹12833.79 lakhs remained wholly unutilised under twenty two heads; of these ₹12303.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "2230" – "Labour – Transfer to Reserve Fund/Deposit Accounts"-

(a) "Transfer to Limestone and Dolomite Mines Fund" ₹2500.00 lakhs; and

(b) "Transfer to Cine Workers Welfare Fund"– ₹250.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to late receipt of cess.

(B) Major Head "2552" –

(a) "Labour – Research and Statistics – Plan Schemes under Research and Statistics" – ₹213.00 lakhs;

(b) "Labour – Improvement in Working Condition of Child/Women Labour – Child Labour Cell" – ₹1350.00 lakhs;

(c) "Training – Training of Craftsmen and Supervisors – Other Schemes" – ₹ 4095.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(d) "Labour – Social Security for Labour – Rashtriya Swasthya Bima Yojana/Health Insurance for Unorganised Sector Workers"– ₹ 3511.00 lakhs;

(e) "Labour – Working Conditions and Safety"-

(i) "Plan Schemes of Directorate General of Factory Advice Services (D.G.F.A.S.L.I.)" – ₹204.00 lakhs; and

(ii) ''खान सुरक्षा महानिदेशालय की योजना स्कीमें'' - ₹180.00 लाख।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2230'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''श्रम - औद्योगिक संबंध'' -

(क) ''अन्य मदें'' - ₹495.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹76.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹571.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹135.33 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(ख) ''श्रमिक अधिकरण, जांच न्यायालय तथा समाधान बोर्ड'' - ₹385.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹101.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹486.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹152.06 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने और पीठासीन अधिकारियों के वेतनमानों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(खा) ''प्रशिक्षण - अन्य व्यय - कौशल विकास पहल'' - ₹8780.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹5000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹13780.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹11612.43 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने और परामर्शदाताओं द्वारा वेब पोर्टल का कार्य पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(ii) "Plan Schemes of the Directorate General Mines Safety (D.G.M.S.)"- ₹180.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2230" – remained wholly unutilized under the following heads as shown against each:-

(A) "Labour - Industrial Relations"-

(a) "Other Items" – the original provision of ₹495.00 lakhs was augmented to ₹571.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹ 76.00 lakhs. However, there was a saving of ₹135.33 lakhs (including supplementary grant); and

(b) "Labour Tribunals, Courts of Enquiry and Conciliation Boards" – the original provision of ₹ 385.00 lakhs was augmented to ₹486.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹101.00 lakhs. However, there was a saving of ₹152.06 lakhs (including supplementary grant).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of pay scales of Presiding Officers.

(B) "Training – Other Expenditure - Skill Development Initiative" – the original provision of ₹8780.00 lakhs was augmented to ₹13780.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹5000.00 lakhs. However, there was a saving of ₹11612.43 lakhs (including supplementary grant)- due to non-filling up of vacant posts and non-completion of work of web portal by consultants.

(III) मुख्य शीर्ष "2230" - "प्रशिक्षण - अन्य व्यय - व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजनाएं" के अंतर्गत ₹762.80 लाख के मूल प्रावधान को ₹5000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹5762.80 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, कुछ नई स्कीमों को लागू न किए जाने के कारण ₹4454.67 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) Under Major Head "2230" - "Training – Other Expenditure – Vocational Training Projects" – the original provision of ₹ 762.80 lakhs was augmented to ₹5762.80 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹5000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹4454.67 lakhs – due to non-implementation of some new schemes.

(IV) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - श्रम मंत्रालय" के अंतर्गत ₹254.23 लाख की बचत (₹3250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम चिकित्सीय दावे प्राप्त होने, सरकारी विदेशी दौरे कम संख्या में किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2251" – "Secretariat – Ministry of Labour" – saving of ₹254.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3250.00 lakhs) was due to receipt of less medical claims, less number of official foreign tours and economy measures.

(V) मुख्य शीर्ष "2230" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "2230" – savings occurred under the following heads: -

(का) "श्रम" -

(A) "Labour" –

(क) "अनुसंधान और सांख्यिकी - अनुसंधान और सांख्यिकी के अंतर्गत योजना स्कीमें"- ₹452.15 लाख की बचत (₹1790.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगार) तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कृषि श्रमिक/ग्रामीण श्रमिक) के कार्यकलाप-आधारित अद्यतन का अनुमोदन न किए जाने के कारण हुई।

(a) "Research and Statistics – Plan Schemes under Research and Statistics" – saving of ₹452.15 lakhs (against the sanctioned provision ₹1790.00 lakhs) was due to non-approval of activities-base updation of Consumer Price Index (Industrial Workers) and Consumer Price Index (Agricultural Labourers/Rural Labourers).

(ख) "औद्योगिक संबंध" -

(b) "Industrial Relations" –

(i) "मुख्य श्रम आयुक्त (मध्य) और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त"- ₹206.12 लाख की बचत (₹3683.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदों का सृजन न किए जाने/रिक्त पदों को भरे न जाने, चिकित्सीय प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(i) "Chief Labour Commissioner (Central) and Regional Labour Commissioners"– saving of ₹206.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3683.00 lakhs) was due to non-creation/non-filling up of vacant posts, receipt of less claims of medical reimbursement and economy measures

(ii) "मुख्य श्रम आयुक्त (मध्य) और क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों का सुदृढ़ीकरण"- ₹138.31 लाख की बचत (694.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, छुट्टी यात्रा रियायत और

(ii) "Strengthening of Chief Labour Commissioner (Central) and Regional Labour Commissioners" – saving of ₹138.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹694.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt

शिक्षा-शुल्क की प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) ''कार्य परिस्थितियां और सुरक्षा'' -

(i) ''कारखाना परामर्श सेवा महानिदेशालय की योजना स्कीमें'' - ₹310.86 लाख की बचत (₹901.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने/पदों को समाप्त किए जाने, सरकारी दौरे कम संख्या में किए जाने और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमान विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) ''खान सुरक्षा महानिदेशालय'' - ₹480.86 लाख की बचत (₹3544.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदों का सृजन न किए जाने/रिक्त पदों को न भरे जाने, छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावों और कम सरकारी दौरे किए जाने के कारण हुई।

(iii) ''अनुसंधान और प्रशिक्षण'' - ₹106.07 लाख की बचत (₹1080.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम सरकारी दौरों, कोई भी विदेश दौरा न किए जाने और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमानों के विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) ''लौह अयस्क मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि - शिक्षा'' - ₹116.27 लाख की बचत (₹358.73 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, छात्रवृत्ति और वृत्तिकाओं के आवेदन तथा सहायता अनुदान के दावे कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(ङ) ''चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि''-

(i) ''स्वास्थ्य'' - ₹137.65 लाख की बचत (₹745.28 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधूरे प्रस्ताव प्राप्त होने और कम सामग्री की खरीद किए जाने के कारण हुई।

of less claims of leave travel concession and reimbursement of tuition fees.

(c) “Working Conditions and Safety” –

(i) “Plan Schemes of Directorate General of Factory Advice Services (DGFASLI)” – saving of ₹310.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹901.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant/ abolition of posts, less number of official tours and delay in receipt of estimates from Central Public Works Department.

(ii) “Director General of Mines Safety” – saving of ₹480.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3544.00 lakhs) was due to non-creation/non-filling up of vacant posts, less claims of leave travel concession and less official tours undertaken.

(iii) “Research and Training” – saving of ₹106.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1080.50 lakhs) was due to less official tours, no foreign tours and late receipt of estimates from Central Public Works Department.

(d) “Iron Ore Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund– Education” – saving of ₹116.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹358.73 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less number of applications for scholarship and stipends and grants-in-aid claims.

(e) “Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund” –

(i) “Health” – saving of ₹137.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹745.28 lakhs) was due to receipt of incomplete proposals and less purchase of materials.

(ii) ''आवास'' - ₹133.23 लाख की बचत (₹216.07 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधूरे प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) ''शिक्षा'' - ₹116.60 लाख की बचत (₹246.55 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रवृत्ति और वृत्तिकाओं के अंतर्गत कम आवेदनों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(च) ''बीड़ी कामगार कल्याण निधि'' -

(i) ''शिक्षा'' - ₹2409.61 लाख की बचत (₹13523.76 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रवृत्ति और वृत्तिकाओं के लिए कम संख्या में अभ्यर्थियों के पात्र पाए जाने के कारण हुई।

(ii) ''स्वास्थ्य'' - ₹859.80 लाख की बचत (₹7391.94 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमानों के विलंब से प्राप्त होने की वजह से प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(iii) ''संशोधित एकीकृत आवास स्कीम, 2005''- ₹2264.74 लाख की बचत (₹7100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(छ) ''बाल/महिला श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार- बाल श्रमिक प्रकोष्ठ''- ₹2407.36 लाख की बचत (₹12150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ण प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(ज) ''आरक्षित निधि/जमा लेखों को अंतरण'' -

(i) ''बीड़ी कामगार कल्याण निधि को अंतरण'' - ₹7870.00 लाख की बचत (₹23870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) "Housing" – saving of ₹133.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹216.07 lakhs) was due to receipt of incomplete proposals.

(iii) "Education" – saving of ₹116.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹246.55 lakhs) was due to receipt of less applications under scholarship and stipends.

(f) "Beedi Workers Welfare Fund" –

(i) "Education" – saving of ₹2409.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13523.76 lakhs) was due to less number of candidates found eligible for scholarship and stipends.

(ii) "Health" – saving of ₹859.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7391.94 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-materialisation of proposals owing to delay in receipt of estimates from Central Public Works Department.

(iii) "Revised Integrated Housing Scheme, 2005" – saving of ₹2264.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7100.00 lakhs) was due to receipt of less number of complete proposals.

(g) "Improvement in Working Condition of Child/Women Labour – Child Labour Cell"– saving of ₹2407.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12150.00 lakhs) was due to receipt of less number of complete proposals.

(h) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Accounts" –

(i) "Transfer to Beedi Workers Welfare Fund" – saving of ₹7870.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23870.00 lakhs);

(ii) ''अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि को अंतरण'' - ₹155.00 लाख की बचत (₹350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(iii) ''लौह, मैंगनीज क्रोम अयस्क निधि को अंतरण'' - ₹1171.00 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें उपकर के कम संग्रहण के कारण हुईं।

(झ) ''अन्य व्यय - अन्य मदें'' - ₹118.02 लाख की बचत (₹160.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में संगोष्ठियां आयोजित किए जाने और पूर्ण प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''रोजगार'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय'' -₹170.69 लाख की बचत (₹1835.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, छुट्टी यात्रा रियायत दावों के कम संख्या में प्राप्त होने, सरकारी दौरों के कम संख्या में होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अनुसंधान, सर्वेक्षण और सांख्यिकी - शारीरिक रूप से विकलांगों को सहायता'' - ₹163.63 लाख की बचत (₹1941.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदों का सृजन न किए जाने/रिक्त पदों को न भरे जाने, संबंधित प्राधिकरणों से प्रस्तावों का अनुमोदन न किए जाने की वजह से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमानों के विलंब से प्राप्त होने और राज्य सरकार/नगर निगम के साथ दावों का निपटान न किए जाने के कारण हुई।

(ii) "Transfer to Mica Mines Labour Welfare Fund" – saving of ₹155.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹350.00 lakhs); and

(iii) "Transfer to Iron, Manganese Chrome Ore Fund" – saving of ₹1171.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to less collection of cess.

(i) "Other Expenditure – Other Items" – saving of ₹ 118.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 160.00 lakhs) was due to holding of less number of seminars and receipt of less number of complete proposals.

(B) "Employment" –

(a) "Direction and Administration – Directorate General of Employment and Training" – saving of ₹170.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1835.60 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less number of leave travel concession claims, less number of official tours and economy measures.

(b) "Research, Surveys and Statistics– Assistance to Physically Handicapped"– saving of ₹163.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1941.25 lakhs) was due to non-creation of posts/non-filling up of vacant posts, delay in receipt of estimates from Central Public Works Department owing to non approval of proposals from concerned authorities and non-settlement of claims with State Government/Municipal Corporation.

(ग) ''रोजगार सेवाएं - रोजगार कार्यालय'' - ₹412.62 लाख की बचत (₹464.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम की धीमी शुरुआत के कारण हुई।

(गा) ''प्रशिक्षण'' -

(क) ''शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण'' -

(i) ''शिल्प अनुदेशकों का प्रशिक्षण'' - ₹275.16 लाख की बचत (₹2861.80 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदों का सृजन न किए जाने/रिक्त पदों को न भरे जाने, संबंधित प्राधिकरणों से प्रस्तावों का अनुमोदन न किए जाने की वजह से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमानों के विलंब से प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''अति कुशल शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण'' - ₹168.41 लाख की बचत (₹1111.27 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और छुट्टी यात्रा रियायत दावों के कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) ''महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम'' - ₹127.28 लाख की बचत (₹2962.98 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदों का सृजन न किए जाने/रिक्त पदों के न भरे जाने, संबंधित प्राधिकरणों से प्रस्तावों का अनुमोदन न किए जाने की वजह से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमानों के विलंब से प्राप्त होने और कम संख्या में व्यावसायिक बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान - 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से उन्नयन''- ₹283.22 लाख की बचत (₹451.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, प्रधानाचार्यों के लिए प्रशिक्षण को मूर्त रूप न दिए जाने और कम संख्या में सरकारी दौरों के कारण हुई।

(c) "Employment Services – Employment Exchanges" – saving of ₹412.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹464.60 lakhs) was due to slow taking up off of the scheme.

(C) "Training" –

(a) "Training of Craftsmen and Supervisors"–

(i) "Training of Crafts Instructors" – saving of ₹275.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2861.80 lakhs) was due to non creation of posts/non-filling up of vacant posts, delay in receipt of estimates from Central Public Works Department owing to non-approval of proposals from concerned authorities and economy measures.

(ii) "Training of Highly Skilled Craftsmen and Supervisors" – saving of ₹168.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1111.27 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less number of leave travel concession claims.

(iii) "Vocational Training Programme for Women" – saving of ₹127.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2962.98 lakhs) was due to non-creation of posts/ non-filling up of vacant posts, delay in receipt of estimates from Central Public Works Department owing to non- approval of proposals from concerned authorities and receipt of less number of professional bills.

(b) "Industrial Training Institutes (I.T.I.) – Upgradation of 1396 Govt. I.T.Is through Public Private Partnership" – saving of ₹283.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹451.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-materialisation of training for principals and less number of official tours.

(ग) "अन्य व्यय - केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं में सुधार और उन्हें बेहतर बनाने संबंधी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना" - ₹1615.77 लाख की बचत (₹2806.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, प्रधानाचार्यों के लिए प्रशिक्षण को मूर्त रूप न दिए जाने और कम संख्या में सरकारी दौरों के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रशिक्षण अनुदान - शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण - अन्य स्कीमें" के अंतर्गत ₹500.38 लाख की बचत (₹18214.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाद की किस्त जारी किए जाने के लिए राज्यों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और कंप्यूटरों की खरीद के लिए राज्यों को केन्द्रीय भाग कम जारी होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष "3602" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रशिक्षण - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान- केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं में सुधार और उन्हें बेहतर बनाने संबंधी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना" के अंतर्गत ₹156.41 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से पूर्ण प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(VIII) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹282.34 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 84 प्रतिशत तक थीं।

3. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹18722.50 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹8467.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) मुख्य शीर्ष "2230" - "श्रम" -

(c) "Other Expenditure – Externally Aided Project for Reforms and Improvement in Vocational Training services rendered by Central and State Governments"– saving of ₹1615.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2806.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-materialisation of training for principals and less number of official tours.

(VI) Under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Training Grants – Training of Craftsmen and Supervisors – Other Schemes" – saving of ₹500.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 18214.00 lakhs) was due to receipt of fewer proposals from the States for release of subsequent installment and less release of central share to States for purchase of computers.

(VII) Under Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Training – Industrial Training Institute – Externally Aided Project for Reforms and Improvement in Vocational Training services rendered by Central and State Governments" – saving of ₹156.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to receipt of less number of complete proposal from Union Territory Administration.

(VIII) Under four heads savings of ₹282.34 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 13 percent to 84 percent of the sanctioned provision.

3 The above savings were partly (₹18722.50 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹8467.00 lakhs and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(I) Major Head "2230" – "Labour" –

(का) "श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा - असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम" - ₹5622.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3882.18 लाख था।

(A) "Social Security for Labour – Social Security for Unorganised sector Workers Scheme"– ₹5622.50 lakhs, Actual excess, however, was ₹3882.18 lakhs.

(खा) "श्रमिक शिक्षा - कामगारों की शिक्षा के लिए केन्द्रीय बोर्ड को अनुदान" - ₹1195.00 लाख।

(B) "Labour Education – Grants to Central Board for Worker's Education" – ₹1195.00 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रशिक्षण अनुदान - शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण - कौशल विकास पहल - सामान्य" - ₹11905.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹11039.65 लाख था।

(II) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Training Grants – Training of Craftsmen and Supervisors – Skill Development Initiative – General" – ₹11905.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹11039.65 lakhs.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "4250" अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	1320.00	1177.31	967.35	-209.96
पु.	R.	– 142.69			
मुख्य शीर्ष "6250" अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज	Major Head "6250" Loans for Other Social Services				
मू.	O.	73500.00	30000.00	30000.00	..
पु.	R.	– 43500.00			
मुख्य शीर्ष "6552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज	Major Head "6552" Loans for North Eastern Areas				
मू.	O.	1500.00	..	..	..
पु.	R.	– 1500.00			

(I) ₹1509.70 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1500.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "6552" - "उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संस्थान प्रबंधन समिति को कर्ज - 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से उन्नयन" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1509.70 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these ₹1500.00 lakhs alone accounted for under Major Head "6552" – "Loans for North Eastern Areas – Loans to Institute Management Committee (IMC) of the ITI s – Upgradation of 1396 Govt. I.T.I.'s through Public Private Partnership" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "4250" - "श्रम - बीड़ी कामगार कल्याण निधि" के अंतर्गत ₹257.50 लाख की बचत (₹350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमानों के प्राप्त न होने और कार्यालय उपस्करों और मोटर वाहनों की खरीद के प्रस्ताव के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4250" – "Labour - Beedi Workers Welfare Fund" – saving of ₹257.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 350.00 lakhs) was due to non receipt of estimates from Central Public Works Department and non-materlisation of proposal for purchase of office equipments and motor vehicle.

(III) मुख्य शीर्ष "6250" - "अन्य - औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों की संस्थान प्रबंधन समिति को कर्ज - 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से उन्नयन" के अंतर्गत ₹43500.00 लाख की बचत (₹73500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ण प्रस्तावों के कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "6250" – "Others – Loans to Institute Management Committee (IMC) of ITIs - Upgradation of 1396 Govt. I.T.I.s through Public Private Partnership" – saving of ₹43500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹73500.00 lakhs) was due to receipt of less number of complete proposals.

5. अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि:-

5. Mica Mines Labour Welfare Fund:-

यह निधि अभ्रक खानों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण का संवर्धन करने के उपायों के वित्तपोषण के लिए गठित की गई थी। अभ्रक के निर्यात के लिए लगाए गए सीमा शुल्क को संग्रहण प्रभारों को घटाने के बाद निधि में जमा किया जाता है।

The Fund was constituted for financing measures for promotion of Welfare of Labour employed in Mica Mines. Custom duties levied on export of Mica are credited to the Fund after deducting collection charges.

वर्ष 2010-2011 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2010 – 2011 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	6,52,07
प्राप्तियां	Receipts	1,95,32
अदायगियां	Payments	1,94,50
अंतशेष	Closing Balance	6,52,89

6. लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि:-

यह निधि मूल रूप से लौह अयस्क खान श्रमिक और कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकारों और खान प्रबंधकों की सहायता करने के लिए लौह अयस्क खनिजकों की जीवन-यापन स्थितियों को सुधारने के लिए गठित की गई थी। इस अधिनियम को लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 जो 1 सितम्बर, 1978 से प्रवृत्त है, द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण संगठन इस निधि में से श्रमिकों और उनके आश्रितों को सुविधाएं प्रदान करता है। इस निधि का वित्तपोषण उपकर लगाकर किया जाता है।

वर्ष 2010-2011 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार था:-

6. Iron Ore Mines, Manganese Ore and Chrome Ore Mines Labour Welfar Fund:-

The Fund was originally constituted under the Iron Ore Mines Labour and Welfare Cess Act, 1961 to help the State Governments and the Mines Management to improve the living conditions of the Iron Ore Miners. This Act has been replaced by Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 which came into force with effect from 1St September, 1978. The Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Organisation provides for Welfare amenities out of this fund to the workers and their dependents. This Fund is financed by the levy of cess.

The Account of the Fund for 2010 – 2011 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	163,32,55
प्राप्तियां	Receipts	13,67,41
अदायगियां	Payments	11,66,74
अंतशेष	Closing Balance	165,33,22

7. बीड़ी कामगार कल्याण निधि:-

यह निधि बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ी विनिर्माण में लगे व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए गठित की गई थी। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ियों के विनिर्माण के संबंध में किसी भी प्रयोजन के लिए भांडागारों से किसी व्यक्ति को दिए गए तम्बाकू पर उपकर लगाकर निधि को वित्तपोषित किया जाता था। इस उपकर को वित्त अधिनियम, 1979 के अधीन मार्च, 1979 से हटा दिया गया था परन्तु बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन अधिनियम, 1981) के अंतर्गत इसे 1 जनवरी, 1982 से फिर से लगा दिया गया है।

7. Beedi Workers Welfare Fund: -

The Fund was constituted under the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 for financing welfare activities of persons and their dependents engaged in Beedi manufacturing. The fund was financed by the levy of cess collected under Beedi Workers Cess Act, 1976 on tobacco issued to the persons from warehouses for any purpose in connection with manufacture of Beedi. This cess was abolished with effect from March, 1979 under the Finance Act, 1979 but was levied again with effect from Ist January, 1982 under the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment Act, 1981).

वर्ष 2010-2011 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2010 – 2011 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	-147,89,92
प्राप्तियां	Receipts	162,27,01
अदायगियां	Payments	232,03,26
अंतशेष	Closing Balance	-217,66,17

8. चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधिः-

यह निधि चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित की गई थी, जिसमें बेचे गए या किसी कारखाने के दखलकार को अन्य रूप से दिए गए किसी खान में उत्पादित चूना पत्थर और डोलोमाइट पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण की व्यवस्था है जो कि खान मालिक द्वारा स्वयं अपनी फैक्टरी में किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। संग्रहित उपकर को चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण का संवर्धन करने संबंधी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

8. Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund: -

The Fund was constituted under the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 and rules framed there under, which provides for levy and collection of Cess on Limestone and Dolomite produced in any mines, is sold or otherwise disposed off to the occupier of any factory or used by mine owner himself in his own factory for any purpose. The cess collected is utilised for financing of activities to promote the welfare of persons employed in Limestone and Dolomite Mines.

वर्ष 2010-2011 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2010 – 2011 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	76,07,08
प्राप्तियां	Receipts	6,30
अदायगियां	Payments	11,88,66
अंतशेष	Closing Balance	64,24,72

9. सिनेमा कामगार कल्याण निधिः-

यह निधि सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित की गई थी, जिसमें उपकर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण की व्यवस्था की

9. Cine Workers Welfare Fund: -

The Fund was constituted under the Cine Workers Welfare Fund Act, 1981 and rules framed thereunder, which provides for levying and

गई है। संग्रहित उपकर का उपयोग सिनेमा कामगारों के कल्याणकारी उपायों के लिए किया जाता है।

वर्ष 2010-2011 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार था:-

collection of Cess. Cess collected is utilised for the welfare measures of Cine Workers.

The Account of the Fund for 2010 – 2011 was as follows: -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	2,86,91
प्राप्तियां	Receipts	3
अदायगियां	Payments	1,73,02
अंतशेष	Closing Balance	1,13,92